भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1947

(जिसका उत्तर मंगलवार, 13 मार्च, 2018 को दिया गया)

कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष लंबित मामले

1947. श्री प्रताप सिंह बाजवा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक विभिन्न हितार्थियों द्वारा पूंजी के अधिमान्य निर्गम हेतु कंपनी विधि बोर्ड में दायर किए गए लंबित मामलों का, कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) विभिन्न हितार्थियों द्वारा कंपनी विधि बोर्ड में दायर की गई याचिकाओं की प्रकृति और उनका, कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त मामलों को एक समयबद्ध ढंग से कब तक निपटा लिए जाने की संभावना है; और
(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क): 09.03.2018 तक एनसीएलटी के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 55(3) के अधीन कुल एक मामला और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 79/80क के अधीन एक मामला लंबित है।

(ख): 31.01.2018 तक एनसीएलटी में कुल 9073 मामले विचाराधीन है, जिसमें विलयन और समामेलन के 1630 मामले, दिवाला के 2,511 मामले और कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्य धाराओं के 4,932 मामले शामिल हैं।

(ग) और (घ): कंपनी अधिनियम, 2013 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में विहित समय सीमा के अनुसार मामलों के निपटान के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रानिक/सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां भी शामिल हैं का व्यापक आधार पर प्रयोग किया जा रहा है।

*****